

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-I का कार्यालय, महाराष्ट्र

No. Admn-I/Promotion/Asstt. Supervisor/2026/67

Date: 30-06-2026

कार्यालय आदेश

महालेखाकार महोदया, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखाकारों को केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (संशोधित वेतन) नियम 2016 के वेतन मैट्रिक्स (44900-142400) के वेतन स्तर 7 में दिनांक 01-07-2026 या कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक जो भी बाद में हो, सहायक पर्यवेक्षक के संवर्ग में पदोन्नत करने पर हर्ष महसूस करती हैं:

The Accountant General is pleased to promote the following Senior Accountants to officiate in the cadre of Assistant Supervisor in the Pay Level 7 of Pay Matrix (44900-142400) of CCS (Revised Pay) Rules 2016 with effect from 01-07-2026 or from the date of assumption of charge, whichever is later:

क्र.सं. Sr.No.	वरिष्ठ लेखाकार का नाम Name of Senior Accountant
1.	श्री एस. एस. खाड़े Shri S. S. Khade
2.	श्रीमती यास्मिन आजम शेख Smt. Yasmin Azam Shaikh

क्रम सं.1 के कर्मी को सहायक पर्यवेक्षक के संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर वेतन नियतन के लिए विकल्प का चयन करना होगा और उसे प्रशासन ॥ अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा।

The official at Sl. No.1 will have to exercise the option for fixation of pay in the cadre of Assistant Supervisor within one month of assumption of charge and submit it to Admn-II Section.

क्रम सं.2 के कर्मी पहले से ही लेवल 7 के तहत वेतन आहरण कर रहे हैं। अतः उनके लिए आगे कोई वेतन नियतन स्वीकार्य नहीं है।

The official at Sl. No.2 is already drawing pay in Level 7. Hence no further fixation is admissible to her.

केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/05/2009 के अनुलग्नक के पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति के लिए मना करने पर, संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना के तहत उनको वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

In the event of refusal of promotion, they will not be eligible to be considered for financial up-gradation under the MACPS in terms of para 25 of Annexure to DoPT O.M. dated 19-05-2009.

DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15-06-2018 के पैरा 5 के अनुसार उपरोक्त पदोन्नति माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन है।

The above promotion is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of the Special Leave Petition as referred to in DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018.

प्राधिकार: महालेखाकार का आदेश दिनांक 30-06-2026)

हस्ता/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

1280
EDP (SG)

No. Admn-I/Promotion/Asstt. Supervisor/2026/249

Date: 30-06-2026

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. Secretary to the Accountant General
2. Stenographer Gr. II to all Group Officers
3. The Senior Accounts Officer/Admn-II/Admn-III/IAD/Training/Pen Misc/
PF (Misc)/TM
4. The Senior Accounts Officer/EDP (SG) for uploading the Order in Office Website
5. Pay & Accounts Officer (Audit), Mumbai
6. The Senior Accounts Officer/Establishment/Record-I/Record-II
7. Officials concerned
8. The Genl Secretary of Accounts Category-III Association, Mumbai.
9. Spare copy/Guard file

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन-I